संख्या–3ए–2–वे0पु0–08 / 2011 .... / पटना, दिनांक

बिहार सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

विषयः विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन अभियंत्रण महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुशंसित पुनरीक्षित वेतनमान (संवर्गीय संरचना, संकाय मानदंड, कैरियर संवर्धन स्कीम तथा अन्य सेवा शर्तों एवं बंधेजों सहित) दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

अखिल भरतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (अभातशिप) के पत्रांक F.No. RID/VI pay/2010-11, दिनांक 20.04.2010 के द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण (पार्ट III खण्ड 4) में प्रकाशित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विनियम–2010 की प्रति संलग्न करते हुए तकनीकी संस्थाओं (डिग्री) में कार्यरत शिक्षकों के लिए वेतनमान, सेवाशर्तें और अर्हताएं की अनुशंसा की गई है। राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत विज्ञान एव प्रावैधिकी विभाग के अधीन अभियंत्रण महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विनियम–2010 द्वारा अधिसूचित पुनरीक्षित वेतनमान, संवर्गीय संरचना, संकाय मानदंड, नियुक्ति की प्रक्रिया, कैरियर संवर्धन (एडवांसमेंट) स्कीम तथा अन्य सेवा शर्तों एवं बंधेजों सहित (सेवानिवृति की आयु सीमा छोड़कर) को दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से निम्नवत लागू करने का निर्णय लिया गया है–

(1) अभियंत्रण महाविद्यालयों में शिक्षकों के लिए तीन पदनाम होंगें अर्थात सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर।

(2) प्रोफेसर के रूप में नियुक्त होने, प्रोन्नत होने अथवा पदनामित होने के लिए कोई भी तबतक पात्र नहीं होगा, जबतक वह पीएच.डी. धारण नहीं कर लेता है तथा ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा समय–समय पर निर्धारित अन्य शैक्षणिक शर्तों की पूर्ति नहीं करता है। तथापि, यह बात उन व्यक्तियों को प्रभावित नहीं करेगी जिन्हें पहले ही 'प्रोफेसर' के रूप में पदनामित किया गया है।

(3) शिक्षकों का वेतन निर्धारण उनके पदनामों के अनुरूप उपयुक्त "शैक्षणिक ग्रेड वेतन" (संक्षेप में एजीपी) के साथ रू. 15600– 39100 तथा रू. 37400–67000 के दो वेतन बैंडों में निर्धारित किए जायेगें। प्रत्येक वेतन बैंडों में शैक्षणिक ग्रेड वेतन की विभिन्न अवस्थाएं होंगी जो यह सुनिश्चित करेंगी कि इस स्कीम के अधीन शामिल शिक्षकों तथा अन्य समकक्ष संवर्गों के पास अर्हता की अन्य शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन, उनके कैरियर के दौरान उर्ध्ववर्त्ती संचलन के अनेक अवसर उपलब्ध हैं।

(4) प्रोफेसरों के पद स्नातकपूर्व (यू.जी.) तथा साथ ही स्नातकोत्तर (पी.जी.) संस्थाओं में सृजित किये जायेगें। किसी यू.जी. कॉलेज में प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर से सहायक प्रोफेसर का अनुपात समान्यतः 1 : 2 : 6 के अनुपात में होगा। किसी पी.जी. कॉलेज में प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर और/अथवा सहायक प्रोफेसर का अनुपात समान्यतः 1 : 2 के अनुपात में होगा।

(5) तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में प्रोफेसर के 10 प्रतिशत पद रू. 12000 के उच्च शैक्षणिक ग्रेड वेतन में होगें जिनके लिए अभातशिप द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली पात्रता की शर्तें लागू होंगी।

कमशः पृ0 2 पर.....

(6) विभिन्न संवर्गों में उच्चतर ग्रेड वेतन में सभी संवर्धन (एडवांसमेंट) के लिए अभातशिप अनमोदित दो सप्ताह का दो पुनश्चर्या कार्यक्रमों सहित एक–एक सप्ताह का दो अभातशिप अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहभागिता अनिवार्य होगी।

(7) विभिन्न संवर्गों में उच्चतर ग्रेड वेतन में सभी संवर्धन (एडवांसमेंट) के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (अभातशिप) द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निर्धारण नहीं किये जाने की स्थिति में विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधी आदेश निर्गत किया जा सकेगा।

(8) अभियंत्रण महाविद्यालयों के शिक्षकों की सेवा–निवृति की आयु, राज्य के विश्वविद्यालय के शिक्षकों की सेवा–निवृति की आयु के मामले में लिये जाने वाले निर्णयानुसार ससमय लागू की जायेगी।

(9) शिक्षकों के पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का निर्धारण दिनांक 01.01.2006 से करते हुए वेतन एवं भत्तों का भुगतान, वेतन पुनरीक्षण आदेश निर्गत होने वाले माह से प्रारंभ होगा तथा दिनांक 01.04.2010 से उनके बकाया वेतनादि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

(10) संस्थानों में दिनांक 01.01.2006 को सृजित पद पर कार्यरत रहे शिक्षकों का दिनांक 01.01.2006 से 31.3.2010 तक की अवधि का बकाया वेतनादि का भुगतान, इस अवधि में होने वाले अतिरिक्त व्ययभार के 80 (अस्सी) प्रतिशत अंश केन्द्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार से प्राप्त होने तथा सक्षम प्राधिकार (राज्य सरकार) की स्वीकृति प्राप्त कर, किया जायेगा। परंतु वैसे शिक्षक, जो 01.01.2006 को छुट्टी पर थे अथवा निलम्बित थे उनका वेतन छुट्टी से लौटने अथवा निलम्बन समाप्ति की तिथि से किया जायेगा।

(11) अन्यथा कोई आदेश होने तक अभियंत्रण महाविद्यालयों के शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतनमान में मँहगाई भत्ता, आवास किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, परिवहन भत्ता एवं अन्य भत्तादि राज्य सरकार के कर्मियों को जिस तिथि से भुगतान किया गया है उस तिथि से भुगतेय होगा।

(12) अभियंत्रण महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान, सेवा शर्तें तथा कॅरियर संवर्धन (एडवांसमेंट) स्कीम, संस्थानों के पदों एवं पदनामों को अभातशिप की संस्तुत संरचना में अंकित पदों एवं पदनामों के अनुरूप परिवर्त्तित करते हुए निम्न प्रकार का होगा जिसे एपेन्डिक्स–1 के रूप में संलग्न किया जा रहा है–

(i) तकनीकी संस्थाओं में शिक्षण कार्य में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को सहायक प्रोफेसर के रूप में पदनामित किया जायेगा तथा उन्हें रू. 6000 के एजीपी के साथ रू. 15600–39100 के वेतन बैंड में रखा जायेगा। रू. 8000–13500 के पूर्व संशोधित वेतनमान में पहले ही सेवारत व्यख्याताओं को उक्त 6000 रू. के एजीपी के साथ सहायक प्रोफेसर के रूप में पुनःपदनामित किया जाएगा।

(ii) 4 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने वाला सहायक प्रोफेसर, जिसके पास प्रासंगिक शाखा/ विषय–क्षेत्र में पीएच.डी. डिग्री धारित हों, रू. 7000 के एजीपी में रखे जाने के लिए–पात्र होगा।

(iii) प्रासंगिक शाखा/ विषय–क्षेत्र में, जैसा कि तकनीकी शिक्षा में परिभाषित है, मास्टर डिग्री धारण करने वाला सहायक प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर के रूप में 5 वर्षों की सेवा पूरी करने के उपरांत रू. 7000 के एजीपी के लिए पात्र होगा।

क्रमशः पृ0 3 पर.....

(iv) ऐसा सहायक प्रोफेसर, जिसके पास किसी कार्यक्रम की प्रासंगिक शाखा/विषय–क्षेत्र में पीएच.डी. अथवा मास्टर डिग्री नँहीं है, सहायक प्रोफेसर के रूप में 6 वर्षों की सेवा पूरी करने के उपरांत ही रू. 7000 के एजीपी के लिए पात्र होगा।

(v) सभी सहायक प्रोफेसरों के लिए रू. 6000 के एजीपी से रू. 7000 एजीपी में उर्ध्ववर्त्ती संचलन उनके अभातशिप द्वारा निर्धारित अन्य शर्त्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगा।

(vi) व्याख्याता (वरीय वेतनमान) के पदों के पदधारियों के वेतन [अर्थात रू. 10000 –15200 (अपुन. वेतनमान)] को सहायक प्रोफेसर के रूप में पुनःपदनामित किया जाएगा तथा उसे उनके वर्त्तमान वेतन के आधार पर रू. 15600–39100 के वेतन बैंड में उपयुक्त अवस्था पर निर्धारित किया जाएगा, जिसका एजीपी रू. 7000 होगा।

(vii) रू. 7000 के एजीपी के साथ 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले सहायक प्रोफेसर, अभातशिप द्वारा निर्धारित अन्य अपेक्षाओं के अध्यधीन, रू. 8000 के एजीपी में जाने के लिए पात्र होगें।

(viii) एसोसिएट प्रोफसरों के पद रू. 9000 के एजीपी के साथ रू. 37400–67000 के वेतन बैंड में होगें। सीधे भर्त्ती हुए एसोसिएट प्रोफेसरों को रू. 9000 के एजीपी के साथ रू. 37400–67000 के वेतन बैंड में नियुक्ति की शर्त्तों के निबंधनों के अनुसार उपयुक्त अवस्था में रखा जाएगा।

(ix) पदधारी सहायक प्रोफेसर तथा पदधारी व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) जिन्होंने रू. 12000–18300 के अपुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 01.01.2006 को 3 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, रू. 9000 के एजीपी के साथ रू. 37400–67000 के वेतनबैंड में रखे जायेगें तथा उन्हें एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पदनामित किया जाएगा।

(x) पदधारी सहायक प्रोफेसर तथा पदधारी व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) जिन्होंने दिनांक 01.01.2006 को रू. 12000–18300 के अपुनरीक्षित वेतनमान में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की है, उस समय तक रू. 8000 के एजीपी के साथ रू. 15600–39100 के वेतन बैंड में उपयुक्त अवस्था पर रखा जाएंगे, जबतक की सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं कर लेते तथा उसके पश्चात उन्हें रू. 37400–67000 के उच्च वेतन बैंड में रखा जाएगा तथा तदनुसार एसोसिएट प्रोफेसर पदनामित किया जाएगा।

(xi) वर्त्तमान में सेवारत व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) को तबतक, यथास्थिति व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) के रूप में पदनामित किया जाना जारी रहेगा, तबतक वे रू. 37400–67000 के वेतन बैंड में नहीं रखे जाते हैं तथा उपर्युल्त (ix) में वर्णित रीति से एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पुनः पदनामित नहीं किया जाते हैं।

(xii) रू. 8000 के एजीपी के साथ शिक्षण के 3 वर्ष पूर्ण करने वाले सहायक प्रोफेसर, अभातशिप द्वारा यथानिर्दिष्ट अन्य शर्त्तों के अध्यधीन, रू. 9000 के एजीपी के साथ रू. 37400–67000 के वेतन बैंड में रखे जाने तथा एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पुनःपदनामित किए जाने के पात्र होगें।

(xiii) रू. 9000 के एजीपी में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले तथा प्रासंगिक विषय–क्षेत्र में पीएच.डी. धारण करने वाले एसोसिएट प्रोफेसर अभातशिप द्वारा यथानिर्दिष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन की अन्य शर्त्तों के अध्यधीन प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किए जाने तथा पदनामित किए जाने के पात्र होगें। पीएच.डी. धारण करने वालों के अलावा कोई अन्य शिक्षक प्रोफेसर के रूप में प्रोन्नत,

क्रमशः पृ0 4 पर......

नियुक्त अथवा पदनामित नहीं किया जाएगा। प्रोफेसर के पद के लिए वेतन बैंड रू. 10000 के एजीपी
के साथ रू. 37400–67000 का वेतन बैंड होगा।

(xiv) सीधे भर्ती हुए प्रोफेसर का वेतन रू. 37400–67000 के वेतन बैंड में
रू. 43000/ – से अन्यून अवस्था में नियत किया जाएगा, जिसमें लागू एजीपी रू. 10000 होगी।

(xv) एसोसिएट प्रोफेसर तथा प्रोफेसर के स्तर पर प्रारंभिक सीधी–भर्ती के लिए
शैक्षणिक एवं शोध अपेक्षाओं के संबंध में पात्रता, शर्ते वे होगी, जो अभातशिप द्वारा विनियमों के माध्यम
से निर्दिष्ट की जाए अथवा निर्दिष्ट की गई हैं तथा अभातशिप द्वारा निर्धारित की गई हैं।

(xvi) तकनीक संस्थानों में प्राचार्यों के पदों के लिए नियुक्तियाँ अभातशिप द्वारा
समय–समय पर निर्धारित शैक्षणिक अर्हताओं और शिक्षण/ शोध अनुभव के संबंध में अर्हता शर्तों के
आधार पर होगी तथा प्राचार्य का पद रू. 10000 के एजीपी के साथ रू. 37400–67000 के वेतन बैंड में
होगा, जिसमें रू. 3000 प्रतिमाह का विशेष भत्ता भी शामिल होगा। सेवारत सभी प्राचार्यों को रू. 10000
के एजीपी साथ वेतन बैंड में उपयुक्ततः नियत किया जायेगा तथा उन्हें रू. 3000 प्रतिमाह के विशेष
भत्ता दिया जाएगा।

(13) पीएच.डी./एम. टेक. तथा उच्च योग्यताओं के लिए प्रोत्साहन

(i) यूजीसी द्वारा यथानिर्दिष्ट पंजीकरण, पाठ्यक्रम–कार्य तथा बाह्य मूल्यांकन की
प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रांसगिक विषय–क्षेत्र में प्रदान की गई
पीएच.डी. की डिग्री धारण करने वाले व्यक्ति को नियुक्ति के प्रवेश स्तर पर 5 (पांच) गैर चक्रवर्ती
अग्रिम वेतन–वृद्धियां अनुमान्य होगी।

(ii) सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के समय एम.फिल. डिग्रीधारक दो
गैर–चक्रवर्ती अग्रिम वेतन–वृद्धियों के पात्र होगे।

(iii) किसी व्यवसायिक पाठ्यक्रम में, जैसे किसी संविधिक विश्वविद्यालय द्वारा
मान्यताप्राप्त प्रासंगिक शाखा/ विषय–क्षेत्र में एम.टेक. स्नातकोत्तर डिग्री धारण करने वाले भी प्रवेश
स्तर पर दो गैर–चक्रवर्ती अग्रिम वेतन–वृद्धियों के पात्र होगे।

(iv) ऐसे अध्यापक, जो सेवा में रहते हुए अपनी पीएच.डी. डिग्री पूरा करते हैं, तीन
गैर–चक्रवर्ती अग्रिम वेतन–वृद्धियों के पात्र होगे, यदि ऐसी पीएच.डी. प्रासंगिक शाखा /विषय–क्षेत्र में है
तथा किसी विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन, पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन आदि के लिए यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट
प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए प्रदान की गई है।

(v) तथापि, सेवाकालीन ऐसे अध्यापक, जिन्हें इस स्कीम के प्रवृत होने के समय
पीएच.डी. प्रदान की गई है अथवा जिन्होंने पीएच.डी. के लिए नामांकित हो चुकने पर पाठ्यक्रम–कार्य,
यदि कोई है, तथा साथ ही मुल्यांकन भी पहले ही कर लिया है, तथा केवल पीएच.डी. प्रदान किये जाने
के संबंध में अधिसूचना की ही प्रतीक्षा की जा रही है, वे भी तीन गैर–चक्रवर्ती अग्रिम वेतन–वृद्धियों को
पाने के लिए पात्र होगे, भले ही ऐसी पीएच.डी. प्रदान करने वाला विश्वविद्यालय अभी अधिसूचित नही
किया गया है।

(vi) सेवाकालीन ऐसे अध्यापक, जिन्होंने पीएच.डी. के लिए अभी नामांकन नहीं किया
है, सेवाकाल में पीएच.डी. प्राप्त होने पर केवल तीन गैर–चक्रवर्ती अग्रिम वेतन–वृद्धियों के लाभ ले
सकेगें, यदि ऐसा नामांकन यूजीसी द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय के साथ किया गया है।

क्रमशः पृ0 5 पर....

(vii) ऐसे अध्यापक जो सेवा के दौरान किसी संविधिक विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त प्रासंगिक शाखा/विषय–क्षेत्र में एम॰ फिल॰ अथवा एम.टेक॰ डिग्री अर्जित करते हैं, एक अग्रिम वेतन–वृद्धि के पात्र होगें।

(14) वेतनवृद्धि एवं वेतन नियतन सूत्र

(i) प्रत्येक वार्षिक वेतन–वृद्धि वेतन बैंड में अवस्था के लिए यथालागू प्रासंगिक वेतन बैंड तथा एजीपी में वेतन के कुल योग के 3 (तीन) प्रतिशत के समकक्ष होगी।

(ii) प्रत्येक अग्रिम वेतन–वृद्धि भी यथालागू प्रासंगिक वेतन बैंड तथा एजीपी में वेतन के कुल योग की 3 (तीन) प्रतिशत की दर से होगी तथा गैर–चक्रवर्ती होगी।

(iii) एजीपी की प्रत्येक उच्च अवस्था पर रखे जाने पर अतिरिक्त वेतन–वृद्धियाँ की संख्या निम्न वेतनमान से उच्च वेतनमान में प्रोन्नति पर वेतनवृद्धि की विद्यमान स्कीम के अनुसार होगी. तथापि, दो वेतन बैंडों के बीच प्रभावी वेतन में पर्याप्त वृद्धि को ध्यान रखते हुए, रू॰ 15600–39100 के वेतन बैंड से रू॰ 37400–67000 के वेतन बैंड में संचलन पर कोई अतिरिक्त वेतन–वृद्धि नहीं दी जायेगी।

(iv) प्रचलित वेतन बैंड में अगली वार्षिक वेतनवृद्धि एक समान अर्थात् प्रत्येक वर्ष के जुलाई माह की पहली तारीख हो जायेगी। शिक्षकगण 1 जुलाई को चालू वेतन बैंड में 6 महीना अथवा उससे अधिक की अवधि पूरी कर चुके हैं, एक वेतन वृद्धि प्राप्त करने के योग्य हो जायेंगें। दिनांक 01.01.2006 को प्रचलित वेतन बैंड में वेतन निर्धारण के पश्चात एक वेतन वृद्धि दिनांक 01.7.2006 को वैसे शिक्षकों को देय होगी जिनकी अगली वेतन वृद्धि 1 जुलाई, 2006 से 1 जनवरी, 2007 के बीच में हो। वैसे सभी शिक्षकगण, जिन्होंने दिनांक 01.02.2005 और 01.01.2006 के बीच पिछली वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त कर लिया है, उन्हें भी अगली वेतनवृद्धि की तिथि 01.7.2006 होगी परंतु उन शिक्षकों के मामले में जिन्होंने 1 जनवरी, 2006 को अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतनवृद्धि 1 वर्ष से अधिक समय से प्राप्त कर रहे थे, उन्हें चालू वेतन संरचना में 1 जनवरी को ही वेतनवृद्धि स्वीकृत की जायेगी।

(v) यदि कोई शिक्षक अपने वेतनबैड के अधिकतम स्तर पर पहूँच जाता है, तो अधिकतम स्तर पर पहूँचने के एक वर्ष के पश्चात अगले उच्चतर वेतनबैंड का लाभ दिया जायेगा तथा इसके स्थापन के समय एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जायेगा।

(vi) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथास्वीकार्य छठे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित 'वेतन नियतन सूत्र' को शिक्षकों के वेतन निर्धारण के लिए अपनाया जाएगा।

(15) संकाय मानदण्ड एवं नियुक्ति की प्रक्रिया

(i) अभियंत्रण महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर तथा प्राचार्य के पदों पर सीधी--भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं शोध अपेक्षाओं के संबंध में पात्रता एवं शर्त अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विनियम–2010 के माध्यम से निर्दिष्ट की गई है जिसे एपेन्डिक्स–2 के रूप में संलग्न की जा रही है।

(ii) उच्चतर योग्यता, शोध प्रकाशनों की उच्च संख्या तथा उपयुक्त स्तर पर अनुभव के साथ एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के रूप में व्यवसाय में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए, अग्रिम वेतन–वृद्धियों का विवेकपूर्ण रूप से प्रदान किया जाना संबंधित विश्वविद्यालय तथा नियोजक संस्था के उपयुक्त प्राधिकारी की समक्षता के अधीन होगा जिसके लिए संकाय में अन्य शिक्षकों की वेतन संरचना तथा अन्य विशिष्ट कारकों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले के गुणागुण के संदर्भ में वैयक्तिक उम्मीदवारों के साथ बातचीत की जाएगी।

क्रमशः पृ0 6 पर......

(iii) पीएच.डी. की समकक्षता 5 अंतराष्ट्रीय जनरल पत्रों के प्रकाशन पर आधारित है, जिसमें से प्रत्येक जनरल का संचयी प्रभावी सूचकांक 2.0 से कम नहीं होना चाहिए, तथा पदधारक मुख्य लेखक के रूप में होना चाहिए और सभी 5 प्रकाशन लेखक की विशेषज्ञता के क्षेत्र से जुड़े होना चाहिए।

(iv) पीएच.डी. एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए।

(v) सहायक प्रोफेसर के पदधारी के लिए, सहायक प्रोफेसर के स्तर पर अनुभव पर एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर के अनुभव के समकक्ष विचार किया जायेगा, वशर्त्ते कि पदधारी सहायक प्रोफेसर ने प्रासंगिक विषयक्षेत्र में पीएच.डी. डिग्री हासिल कर ली हो अथवा वह हासिल करता हो।

(vii) डिप्लोमा संस्थाओं के अनुभव पर डिग्री संस्थाओं के अनुभव के समकक्ष उपयुक्त स्तर पर तथा यथालागू अनुसार भी विचार किया जायेगा। तथापि उपर्युक्त अर्हताएं अनिवार्य होगी।

(16) अभियंत्रण महाविद्यालयों के शिक्षकों को दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विनियम–2010 के माध्यम से निर्दिष्ट पुनरीक्षित वेतनमान सहित कैरियर एडवांसमेंट योजना में ही प्रोन्नति अनुमान्य होगी।

(17) यदि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विनियम–2010 में निर्दिष्ट अनुशंसाओं में कोई संशोधन किया जाता है तो प्रशासी विभाग वित्त विभाग की सहमति से इस संबंध में निर्गत संकल्प को तदनुसार संशोधित कर सकेगा।

(18) दिनांक 01.01.2006 एवं आदेश निर्गत होने के बीच सेवानिवृत शिक्षकों का पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का निर्धारण उपर्युक्त कंडिकाओं में निहित प्रक्रिया एवं शर्त्तो के अधीन किया जायेगा।

(19) अभियंत्रण महाविद्यालयों के शिक्षकों को यह विकल्प दिया जायेगा कि यदि वे चाहें तो अपुनरीक्षित वेतनमान में ही बने रहें किन्तु, उस तरह दिया गया कोई विकल्प बाद में परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। संबंधित शिक्षकों द्वारा संलग्न प्रपत्र एपेन्डिक्स–3 में इस आशय का विकल्प आदेश निर्गत की तिथि से नब्बे (90) दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से दे देना होगा। जो शिक्षक इस अवधि में अपना विकल्प लिखित रूप से नहीं देगें उनके संबंध में मान लिया जायेगा कि वे नये वेतनमान में रहेगें।

आदेशः –आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियां सभी विभाग/विभागाध्यक्ष एवं महालेखाकार (ले. एवं हक.), बिहार, पटना को प्रेषित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव
वित्त विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः– 3ए–2–वे0पु0–08/2011.................... **/पटना, दिनांक–**

प्रतिलिपिः– एपेन्डिक्स सहित महालेखाकार (ले. एवं हक.)/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव
वित्त विभाग, बिहार, पटना

क्रमशः पृ0 7 पर.....

ज्ञापांकः— 3ए—2—वे0पु0—08 / 2011.................... / पटना, दिनांक—

प्रतिलिपिः— एपेन्डिक्स सहित सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / —
(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव
वित्त विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः— 3ए—2—वे0पु0—08 / 2011.................... / पटना, दिनांक—

प्रतिलिपिः— एपेन्डिक्स सहित सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, 7वीं मंजिल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, जनपथ, नई दिल्ली—110001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / —
(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव
वित्त विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः— 3ए—2—वे0पु0—08 / 2011.................... / पटना, दिनांक—

प्रतिलिपिः— एपेन्डिक्स सहित सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी कोषागार / उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 /
(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव
वित्त विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः— 3ए—2—वे0पु0—08 / 2011 ......7520 — / पटना, दिनांक— 11/8/11

प्रतिलिपिः— एपेन्डिक्स सहित कुल सचिव, पटना विश्वविद्यालय, पटना / प्राचार्य, विभागाधीनस्थ सभी अभियंत्रण महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

एपेन्डिक्स–1

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन अभियंत्रण महाविद्यालों के शिक्षकों के लिए दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से स्वीकृत वेतनमानः–

क्रम	वर्त्तमान पदनाम	वर्त्तमान वेतनमान	पुनरीक्षित वेतनमान		नया पदनाम
			पे बैंड	ए. जी. पी.*	
1	व्याख्याता	8000-275-13500	15600-39100	6000	सहायक प्रोफेसर
2	सहायक प्राध्यापक	12000-420-18300	37400-67000	9000	एसोसिएट प्रोफेसर
3	प्रोफेसर	16400-450-20900-500-22400	37400-67000	10000	प्रोफेसर
4	प्राचार्य	16400-450-20900-500-22400	37400-67000 +3000 (विशेष भत्ता)	10000	प्राचार्य

*ए. जी. पी. –एकेडमिक ग्रेड पे (Academic Grade Pay)

संयुक्त सचिव
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

एपेन्डिक्स–2

सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर तथा प्राचार्य के पदों पर सीधी–भर्ती के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विनियम–2010 के माध्यम से निर्दिष्ट अर्हता एवं अनुभव

संवर्ग	पाठ्यक्रम	अर्हता	अनुभव
सहायक प्रोफेसर	इंजिनियरी / प्रौद्योगिकी	बीई / बीटेक अथवा एमई / एम टेक में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ प्रासंगिक शाखा में बीई / बीटेक अथवा एमई / एम टेक	
	भेषजी (फार्मेशी)	प्रथम श्रेणी स्नातक अथवा स्नातकोत्तर डिग्री के साथ भेषजी में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री	
एसोसिएट प्रोफेसर	इंजिनियरी / प्रौद्योगिकी / भेषजी	सहायक प्रोफेसर के पद के लिए उपर्युक्तानुसार अर्हताएँ यथालागू तथा उपयुक्त विषय क्षेत्र में पीएच डी. अथवा समकक्ष पोस्ट पी.एच.डी. प्रकाशन तथा पीएच.डी. छात्रों को गाईड करना अत्यंत वांछनीय	शिक्षण / शोध / उद्योग में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव जिसमें से 2 वर्षीय पोस्ट पीएच.डी. अनुभव वांछनीय है।
प्रोफेसर	इंजिनियरी / प्रौद्योगिकी / भेषजी	उक्त अर्हताएँ अर्थात एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए,लागू पोस्ट पीएच.डी. प्रकाशन तथा पीएच.डी. छात्रों को गाईड करना अत्यंत वांछनीय	शिक्षण / शोध / उद्योग में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव जिसमें से न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव एसोसिएट प्रोफेसर स्तर पर होना चाहिए। अथवा शिक्षण और / अथवा शोध और / अथवा उद्योग में न्यूनतम 13 वर्ष का अनुभव। शोध अनुभव के मामले में, बेहतर शैक्षणिक रिकॉर्ड तथा पुस्तक / शोध–पत्र प्रकाशन / आईपीआर / पेटेंट के रिकॉर्ड प्रवरण समिति के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा आवश्यक समझे जाने पर अपेक्षित होंगे। यदि उद्योग में अनुभव पर विचार किया जाता है, तो यह प्रबंधकीय स्तर का होना चाहिए, जो विभाग अध्यक्ष के समकक्ष हो तथा जिसमें डिजाईनिंग, आयोजन, कार्यकारी, विश्लेषण, गुणवत्ता नियंत्रण, अभिनवता, प्रशिक्षण, तकनीकी पुस्तकों / शोध–पत्र प्रकाशन / आईपीआर / पेटेंटों आदि के रुप में सक्रिय प्रतिभागिता हो, जैसाकि प्रवरण समिति के विषेषज्ञ सदस्यों द्वारा आवश्यक समझा जाए।

प्राचार्य / निदेशक	इंजिनियरी / प्रौद्योगिकी / भेषजी	उपर्युक्तानुसार अर्हताएँ अर्थात प्रोफेसर के पद के लिए, यथा लागू पोस्ट पीएच.डी. प्रकाशन तथा पीएच.डी. छात्रों को गाईड करना अत्यंत वांछनीय	शिक्षण / शोध / उद्योग में न्यूनतम 10 वर्ष प्रासंगिक अनुभव जिसमें न्यूनतम 3 वर्ष प्रोफेसर के स्तर पर होना चाहिए। अथवा शिक्षण और / अथवा शोध और / अथवा उद्योग में न्यूनतम 13 वर्ष का अनुभव। शोध अनुभव के मामले में बेहतर शैक्षणिक रिकॉर्ड तथा पुस्तक / शोध–पत्र प्रकाशन / आईपीआर / पेटेंट के रिकॉर्ड प्रवरण समिति के विषेषज्ञ से आवश्यक समझे जाने पर अपेक्षित होंगे। यदि उद्योग में अनुभव पर विचार किया जाता है तो यह प्रबंधकीय स्तर का होना चाहिए, जो विभाग अध्यक्ष के समकक्ष हो तथा जिसमें डिजाईनिंग, आयोजन, कार्यकारी, विष्लेषण, गुणवत्ता नियंत्रण, अभिनवता, प्रशिक्षण, तकनीकी पुस्तकों / शोध–पत्र प्रकाशन / आईपीआर / पेटेंटों आदि के रुप में सक्रिय प्रतिभागिता हो जैसाकि प्रवरण समिति के विषेषज्ञ सदस्यों द्वार आवश्यक समझा जाए।

(हस्ताक्षर)
संयुक्त सचिव
वित्त विभाग, बिहार, पटना

एपेन्डिक्स–3

प्रपत्र– क

मैं ....(नाम) ....(पदनाम) एत
द्वारा घोषित करता /करती हूँ कि यदि भविष्य में ऐसा पाया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारि
वेतन गलत है तथा इसके कारण अधिक भुगतान हुआ है, तो उसे मेरे बकाये वेतन, पेंशन–उपादान व
राशि से कटौती कर ली जाय।

हस्ताक्षर

पदनाम

प्रपत्र– ख

मैं ....(नाम) .... (पदनाम)
एतद् द्वारा दिनांक ....के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण का विकल्प
देता हूँ।

हस्ताक्षर

पदनाम